19.6.23 परिवादी की तरफ से बहस की गयी इनके तरफ से संज्ञान के बिन्दु पर बहस किया गया। (सुना) आज्ञा

आदेश

यह वाद परिवादी ब्रह्मदेव पासवान के द्वारा अभियुक्तगण ① नरेन्द्र कुमार, एवं ② उमेश पासवान के विरुद्ध धारा 323, 341, 120(B), 420, 467, 468, 34 भा०द० वि० के अंतर्गत दायर किया गया है।

परिवाद-पत्र, परिवादी द्वारा दिये गये शपथ पर बयान एवं उनके तरफ से प्रस्तुत किये गये जाँच साक्षी (I) योगिन्द्र पासवान, (II) आनन्द पासवान, एवं (III) बलोरी पासवान ~~के विरुद्ध दायर किया गया है~~ को प्रस्तुत कर साक्ष्य कराया गया है।

जिसका अवलोकन किया (परिवादी ने परिवाद पत्र में घटना ज्यादा परिवादी के घर अंकित कराया है, जबकि उनके द्वारा शपथ पर बयान की कंडिका -2 में घटना वर्ष -2018 एवं अंकित घटना

347 C/22

श्री Lalan kr Rajak
ग्रामीण दण्डाधिकारी प्रथम श्रेणी
मसौढ़ी

Brahmdeo Paswan
v
Narendra kr-Solti

लगातार
19.6.23

तीन माह पूर्व समय करीब 12 बजे मकदुमपुर पैसा लाने गये थे, झगड़ा मारपीट होने की बात बतलाया गया है। परिवादी के कथनानुसार ग्राम मकदुमपुर करायपरशुराय थाना, जिला नालन्दा अंतर्गत बतलाया गया है जो इस न्यायालय के क्षेत्राधिकार के अंतर्गत नहीं है, परिवादी साक्षी संख्या (1) ने साक्ष्य में घटना तीन माह पूर्व 11 बजे दिन में होने की बात बतलाया है, एवं परिवादी साक्षी संख्या (2) ने 4-5 माह पूर्व तथा परिवादी साक्षी संख्या (3) ने चार वर्ष पूर्व की घटना होने की बात बतलाया है, एवं तीनों साक्षियों के साक्ष्य में विरोधाभास प्रतीत होता है एवं यह वाद केवल पैसा लेने के लिये किया गया प्रतीत होता है। परिवाद-पत्र में नामित अभियुक्तगण के विरुद्ध प्रथम दृष्टया का कोई भी मामला बनता प्रतीत नहीं होता है।

अतः परिवाद-पत्र धारा 203 द० प्र० सं० के अंतर्गत खारिज किया जाता है। कार्यालय लिपिक अभिलेख को अभिलेखागार में जमा करे।

लेखापित

न्या० दं०